फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022"

धर्मेन्द्र बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 254/2022 GCMS No. – 2022/133

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.22		

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रोही रोही की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में नया खाता संख्या 542 व पुराना खाता संख्या 219 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में धर्माराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी मगरासर दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम है। प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही कानूता की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 542 में प्रार्थी का नाम धर्माराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी मगरासर दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, व संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में नया खाता संख्या 542 व पुराना खाता संख्या 219 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कानूता	542 (नया) 219 (पुराना)	**धर्माराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी मगरासर**	**धर्मेन्द्र पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी मगरासर**

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को लिखाया [illegible] राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.01.09 12:58:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़